

# FORM No. III

## फर्द अहकाम (नियम 26)

अदालत कलेक्टर मुकाम बांदा मुकदमा नं० मुकदमा नं०

बांदा मुकदमा

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>11/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से ब्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। मत आदेश की पालना में दिनांक...6.12.24 को पेश हो।</p> <p>हस्ताक्षर सेक्टर</p>	
	<p>6/12/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील अग्रणी थी उप०। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में जबकि प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पूर्व से मौजूद है। वैसे बल्स पत्रावली दिनांक 20/12/2024 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी बांदा मुकदमा</p>	
	<p>20/12/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वैसे बल्स पत्रावली दिनांक 23/12/24 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी बांदा मुकदमा</p>	
	<p>23/12/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वैसे बल्स पत्रावली दिनांक 24/12/24 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी बांदा मुकदमा</p>	
	<p>24/12/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उग्रपक्ष उप०। वकील उग्रपक्ष द्वारा पत्रावली पर बल्स की गई। बल्स उग्रपक्ष वकील पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा एवं पत्रावली का अवलोकन</p> <p>उपखण्ड अधिकारी बांदा मुकदमा</p>	

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न  
अ  
हु  
म

किया गया। मूल प्रकरण दावा स्थायी निषेधाज्ञा का है। मूल प्रकरण के विधिवत निस्तारण तक अपाधिकार की भूमि की मीका एवं रिकॉर्ड की सथावत स्थिति बनाये रखने हेतु जाबन्द किया जाना उचित समित होता है। अतः अन्यपक्ष वकील बहस पर मन्नन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अदिश दिनांक 04/09/2023 की तर्फसेला मूल प्रकरण बाद कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली केवल सुमार हीकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर ही।

24/12/23  
पखण्ड अधिकारी  
बाँदीकुई